



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1932 (श०)

(सं० पटना ७३३) पटना, बुधवार, २७ अक्टूबर २०१०

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

२७ अक्टूबर २०१०

सं० बी१-३-६८/२०१०-४६—बिहार विधान-सभा आम निर्वाचन, २०१० के अवसर पर १९९-ब्रह्मपुर, २००-बक्सर, २०१-डुमरौँग, २०२-राजपुर (अ.जा.), २०३-रामगढ़, २०४-मोहनिया (अ.जा.), २०९-करगहर, २११-नोखा, २२०-ओबरा, २२३-औरंगाबाद, २०५-भमुआ, २०६-चैनपुर, २०७-चेनारी (अ.जा.), २०८-सासाराम, २१०-दिनारा, २१२-डिहरी, २१३-काराकाट, २१९-गोह, २२१-नवीनगर, २२२-कुटुम्बा (अ.जा.), २२४-रफीगंज, २२५-गुरुआ, २२६-शेरघाटी, २२७-इमामगंज (अ.जा.), २२८-बाराचट्टी (अ.जा.) एवं २३१-टिकारी विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या—बी१-३-६८/२०१०-४५, दिनांक २७ अक्टूबर २०१० एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या ४६४/बिहार-वि.स./२०१०, दिनांक २७ अक्टूबर २०१० सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आर० के० प्रसाद,

उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

—सह—सरकार के उप—सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

27 अक्टूबर 2010

अधिसूचना सं0-बी1-3-68/2010-45—यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद-172 के खण्ड 1 के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान-सभा, यदि पहले हीं विघटित नहीं कर दी जाती है तो, 27 नवम्बर, 2010 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मारी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (1) के निबंधनों के अनुसार बिहार राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान-सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
199—ब्रह्मपुर
200—बक्सर
201—झुमराँव
202—राजपुर (अ.जा.)
203—रामगढ़
204—मोहनिया (अ.जा.)
209—करगहर
211—नोखा
220—ओबरा
223—औरंगाबाद
205—भमुआ
206—चैनपुर
207—चेनारी (अ.जा.)
208—सासाराम
210—दिनारा
212—डिहरी
213—काराकाट
219—गोह
221—नवीनगर
222—कुटुम्बा (अ.जा.)

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
224-रफीगंज
225-गुरुआ
226-शेरघाटी
227-इमामगंज (अ.जा.)
228-बाराचट्टी (अ.जा.)
231-टिकारी

राज्यपाल के आदेश से व उनके नाम से,

(ह०) अस्पष्ट,

बिहार सरकार के मुख्य सचिव।

ELECTION DEPARTMENT**NOTIFICATION***27th October 2010*

No. B1-3-68/2010-45—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Bihar, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 27th November, 2010 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Bihar ;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency
199-Brahampur
200-Buxar
201-Dumraon
202-Rajpur(SC)
203-Ramgarh
204-Mohania(SC)
209-Kargahar
211-Nokha
220-Obra
223-Aurangabad
205-Bhabua
206-Chainpur

Number and name of the Assembly Constituency
207-Chenari(SC)
208-Sasaram
210-Dinara
212-Dehri
213-Karakat
219-Goh
221-Nabinagar
222-Kutumba(SC)
224-Rafiganj
225-Gurua
226-Sherghati
227-Imamganj(SC)
228-Barachatti(SC)
231-Tikari

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR,

Sd/-Illegible,

Chief Secretary to the Government of Bihar.

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 / 5 कार्तिक, 1932 (शक)

सं 464/बिहार-वि.स./2010:- यतः, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान-सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा-30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 3 नवम्बर, 2010 (बुधवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा तारीख : 4 नवम्बर,, 2010 (वृहस्पतिवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख : 6 नवम्बर,, 2010 (शनिवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक

हुआ तो मतदान होगा : 20 नवम्बर,, 2010 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न

करा लिया जाएगा | : 26 नवम्बर, 2010 (शुक्रवार)

नियत करता है; और

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
199-ब्रह्मपुर	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
200-बक्सर	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
201-झुमरौव	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
202-राजपुर (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
203-रामगढ़	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
204-मोहनिया (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
209-करगहर	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
211-नोखा	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
220-ओबरा	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
223—औरंगाबाद	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
205—भमुआ	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
206—चैनपुर	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
207—चेनारी (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
208—सासाराम	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
210—दिनारा	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
212—डिहरी	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
213—काराकाट	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
219—गोह	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
221—नवीनगर	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
222—कुटुम्बा (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
224—रफीगंज	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
225—गुरुआ	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
226—शेरधाटी	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
227—इमामगंज (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
228—बाराचट्टी (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
231—टिकारी	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक

आदेश से,
 केऽ अजय कुमार,
 सचिव,
 भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001, dated: 27th October, 2010/ 5 Kartik,
1932(Saka)*

NO. 464/BR-LA/2010:- WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 27th October, 2010, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Bihar, as specified in column (1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table :-

(a) the 3rd November, 2010 (Wednesday) , as the last date for making nominations;

(b) the 4th November, 2010 (Thursday) , as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 6th November, 2010 (Saturday), as the last date for withdrawal of candidatures;

(d) the 20th November, 2010 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 26th November, 2010 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours, as shown in column (2) of the Table below , as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, in the corresponding constituency shown in column (1) of the said Table :

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll	
	1	2
199-Brahampur		7.00 AM to 5.00 PM
200-Buxar		7.00 AM to 5.00 PM
201-Dumraon		7.00 AM to 5.00 PM
202-Rajpur(SC)		7.00 AM to 5.00 PM
203-Ramgarh		7.00 AM to 5.00 PM
204-Mohania(SC)		7.00 AM to 5.00 PM
209-Kargahar		7.00 AM to 5.00 PM
211-Nokha		7.00 AM to 5.00 PM
220-Obra		7.00 AM to 5.00 PM
223-Aurangabad		7.00 AM to 5.00 PM
205-Bhabua		7.00 AM to 3.00 PM
206-Chainpur		7.00 AM to 3.00 PM
207-Chenari(SC)		7.00 AM to 3.00 PM
208-Sasaram		7.00 AM to 3.00 PM

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
210-Dinara	7.00 AM to 3.00 PM
212-Dehri	7.00 AM to 3.00 PM
213-Karakat	7.00 AM to 3.00 PM
219-Goh	7.00 AM to 3.00 PM
221-Nabinagar	7.00 AM to 3.00 PM
222-Kutumba(SC)	7.00 AM to 3.00 PM
224-Rafiganj	7.00 AM to 3.00 PM
225-Gurua	7.00 AM to 3.00 PM
226-Sherghati	7.00 AM to 3.00 PM
227-Imamganj(SC)	7.00 AM to 3.00 PM
228-Barachatti(SC)	7.00 AM to 3.00 PM
231-Tikari	7.00 AM to 3.00 PM

By Order,
K. AJAY KUMAR,
Secretary,
Election commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 733-571+300-३००००००००।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>